



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255819
CG-DL-E-27072024-255819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2846]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2846]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2987(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में रा0रा0-709 एडी के ग्राम पीनना से प्रारम्भ होकर वहलना चौक होते हुए रा0रा0-58 को जोड़ने वाला मुज़फ्फरनगर बाईपास का निर्माण, कि.मी. 0.00 से कि.मी. 10.500 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुज़फ्फरनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में रा.रा.-709 एडी के ग्राम पीनना से प्रारम्भ होकर बहलना चौक होते हुए रा.रा.-58 को जोड़ने वाला मुज़फ्फरनगर बाईपास का निर्माण, कि.मी. 0.00 से कि.मी. 10.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुज़फ्फरनगर					
गांव का नाम: बाहलना					
1	118	निजी	कृषि	318 (वर्ग मीटर)	0.0318
2	128	निजी	कृषि	312 (वर्ग मीटर)	0.0312
3	147	निजी	कृषि	264 (वर्ग मीटर)	0.0264
4	151	निजी	कृषि	188 (वर्ग मीटर)	0.0188
5	48	निजी	कृषि	610 (वर्ग मीटर)	0.061
गांव का नाम: पीनना					
6	1092	निजी	कृषि	108 (वर्ग मीटर)	0.0108
7	1232	निजी	कृषि	232 (वर्ग मीटर)	0.0232
8	1238	निजी	कृषि	287 (वर्ग मीटर)	0.0287
Total					0.2319

[फा. सं. NHAI/PIU-BPT/11011(P-S-M)/2018/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2987(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Muzaffarnagar

bypass (NH-709AD) starting from NH-709AD village Pinna to NH-58 via Wahalana Chowk from Km. 0.000 to Km. 10.500 in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Finance/Revenue) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Muzaffarnagar bypass (NH-709AD) starting from NH-709AD village Pinna to NH-58 via Wahalana Chowk from Km. 0.000 to Km. 10.500 in the district of MUZAFFARNAGAR in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: MUZAFFARNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Muzaffarnagar					
Village: Wahalna					
1	118	Private	Agriculture	318 (Square Meter)	0.0318
2	128	Private	Agriculture	312 (Square Meter)	0.0312
3	147	Private	Agriculture	264 (Square Meter)	0.0264
4	151	Private	Agriculture	188 (Square Meter)	0.0188
5	48	Private	Agriculture	610 (Square Meter)	0.061
Village: Pinna					
6	1092	Private	Agriculture	108 (Square Meter)	0.0108
7	1232	Private	Agriculture	232 (Square Meter)	0.0232
8	1238	Private	Agriculture	287 (Square Meter)	0.0287
Total					0.2319

[F. No. NHAI/PIU-BPT/11011(P-S-M)/2018/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.